

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत बड़ौली

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रतन पुत्र मांग्या, जाति मीना, निवासी बड़ौली – मृतक
- 1/1 श्रीमती विद्या पत्नी स्व. रतन, जाति मीना, निवासी बड़ौली
- 1/2 रामप्रकाश पुत्र स्व. रतन, जाति मीना, निवासी बड़ौली

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुवार पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी बड़ौली
2. रामेश्वर पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी बड़ौली
3. विश्राम पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी बड़ौली
4. रघुवीर पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी बड़ौली
5. श्रीकेश पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी बड़ौली
6. हरिकेश पुत्र रामकुवार जाति मीना निवासी बड़ौली

—अप्रार्थीगण

मुकदमा नं. — 26/2014

निर्णय की दिनांक —02.05.2018

वादीगण की ओर से विद्या देवी, रामप्रकाश एवं प्रतिवादीगण की ओर से —, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 02.05.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि वाद वादीगण विद्भावल के आधार पर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है।

राजीनामा निर्णय का जुज पोरशन रहेगा।



मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	